

# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाबता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

कुलजीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार श्रीकरणपुर

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 125/2021

निर्णय दिनांक :- 07.02.2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनाफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी वादी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार व इन्द्राज सेजू पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर चक 11 एस की जमाबन्दी सम्वत 2076 ता 79 के खाता संख्या 123/123 में क्रम संख्या 1 पर अंकित नाम कुलदीप सिंह पुत्र हरचन्द सिंह के स्थान पर कुलदीप सिंह उर्फ कुलजीत सिंह पुत्र हरचन्द सिंह व क्रम संख्या 2 पर अंकित नाम मनदीप सिंह पुत्र हरचन्द सिंह के स्थान पर मनदीप सिंह उर्फ मनजीत सिंह पुत्र हरचन्द सिंह अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। शेष खाता एवं रहन बंदस्तूर रहें। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 07.02.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प इष्टी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	00	00





{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर

दिनांक: 07/02/22

क्रमांक: रीडर/ 2022/ 73

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।



{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्री करणपुर

श्री करणपुर